रीडर
यह दावा/प्रार्थना पत्र वकील श्री.... द्वारा आज मेरे सम्मुख पेश किया गया है। अतः प्रकरण की जाँच कर रिपोर्ट पेश करें।
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 178 /2022 द.ता. 17/11/22
पंजी. 07/10/22

1. प्रतीक जैन पुत्र मनोज कुमार बैद जाति जैन उम्र करीबन 28 वर्ष निवासी मैन चौराहा पहाडिया की दुकान के सामने जयपुर रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि श्योराम जाति गुर्जर निवासी सांवतसर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
2. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,

वादी की ओर से श्रीमान् योग्य न्यायालय से निम्न प्रकार से निवेदन है कि :—

1. यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदार व कब्जे काश्त की संयुक्त आराजी ग्राम मुण्डोती पटवार हल्का मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 352 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 354 रकबा 1.9578 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि है, जिसमें वादी का 5/11 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 1 का 6/11 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है।
2. यह कि उपरोक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 वाद वर्णित आराजी में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर मौके पर उपयोग—उपभोग करते आ रहे है।
3. यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मौके पर काबिज काश्त है परन्तु उपरोक्त आराजी का अधिकार अभिलेख व राजस्व ट्रेस में विधिक

Prateek

महोदय

यह वाद/प्रा.पत्र वादी/प्रार्थी की ओर से

वकील श्री........ [illegible]

द्वारा पेश किया अतः जाँच इस प्रकार हैः-

1. वाद-पत्र/प्रा.पत्र/न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में है

2. वाद-पत्र/प्रा.पत्र/पर न्याय शुल्क चस्पा है।

3. वाद-पत्र/प्रा.पत्र/के साथ नकल जमाबन्दी संलग्न है

4. वाद-पत्र/प्रा.पत्र/के समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।

5. वाद-पत्र/प्रा.पत्र/के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर हैं।

6. फर्द तलवाना/सम्मन/नोटिस पर राशि 2/- रु टिकट चस्पा हैं।

आदेशार्थ पेश है

S.d. [illegible]

विभाजन नहीं होने से आराजी में बुवाई, जुताई, हकाई, निराई, गुडाई, के समय मेड, नींव, सींव को लेकर मनमुटाव हो जाता है।

4. यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उपरोक्त वर्णित आराजी का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (By mets & Bound) के सिद्वान्त के आधार अधिकार अभिलेख व राजस्व ट्रेस में अलग–अलग विधिक विभाजन होकर अलग–अलग तरमिम व रकबा, खसरा, लगान अलग–अलग निर्धारित होने पर सीमा, मेड़ बाबत् विवाद का निस्तारण हो सकता है इसलिये वादी द्वारा माननीय न्यायालय में विभाजन (बंटवारा) की डिक्री प्राप्त करने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ हैं
5. यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वर्णित आराजी में मेंड, नींव, सींव को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न करता रहता है एवं वादी की हिस्से की आराजी में मेंड, नींव, सींव को तोडकर ब्लात्, अतिक्रमण करने पर आमादा हो जाता है, एवं बिना विधिक विभाजन के अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान, हस्तान्तरण, रहन करने पर आमादा हो गये इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत स्थाई निषैधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक है जिसमें वादी के हिस्से पर किसी प्रकार की मदाखलत् उत्पन्न प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नही की जा सकें।
6. यह कि प्रतिवादी संख्या 3 भू–धारी होने से विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार है व प्रतिवादी संख्या 2 पंजीयन अधिकारी होने से पक्षकार कायम किया गया है। चुंकि भू–धारी होने से माननीय न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री का अधिकार अभिलेख में इन्द्राज किया जाता है।
7. यह कि वाद कारण दिनांक 22.09.2022 को जब उत्पन्न हुआ कि वादी अपने हिस्से में कृषकिय कार्य करने या तब प्रतिवादी संख्या 1 व इसके परिवारजन द्वारा मौके पर वादी के हिस्से के उपयोग–उपभोग में व्यवधान कारीत करने लग गये तब वादी द्वारा सहमती से विभाजन करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एलानिया धमकी दी की कोई विभाजन नहीं करायेगे एवं उपरोक्त भूमि से तुम्हे बेदखल कर देगें, एवं बिना विधिक विभाजन के उपरोक्त भूमि को बैचान, हस्तान्तरण कर देगें। तब वादी द्वारा अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर वाद पेश करना आवश्यक हुआ है जो वाद कारण निरन्तर जारी है।
8. यह कि वादी के वाद पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है वाद में वर्णित आराजी श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में होने से सम्पूर्ण श्रवणाधिकार प्राप्त है मियाद अधिनियम के प्रावधान वादी के वाद पर प्रभावी नहीं है।
9. वादी द्वारा प्रार्थना :–

   माननीय योग्य न्यायालय से वादी निम्न प्रकार से सादर प्रार्थना करता है कि :–

   (अ) यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदार व कब्जे काश्त की संयुक्त आराजी ग्राम मुण्डोती पटवार हल्का मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 352 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर

353 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 354 रकबा 1.9578 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि है, जिसमें वादी का 5/11 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 1 का 6/11 हिस्से अनुसार खसरा नम्बर, रकबा, लगान, नक्शा, अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी (By mets & Bound) के सिद्वान्त पर विभाजन कि डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावें।

(ब) यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व इसके विधिक प्रतिनिधि को जरिये स्थाई निषैधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावें की वादी के 5/11 हिस्से में कृषकिय कार्य, उपयोग–उपभोग में बाधा कारीत नहीं करने व कब्जे–काश्त में किसी प्रकार से मदाखलत् उत्पन्न नही करेन की आज्ञप्ति जारी की जाने की कृपा करावें।

(स) अन्य अनुतोष वाद की परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमान् न्यायालय वादी के पक्ष में सादर फरमाया जावें।

स्थान :– किशनगढ़

दिनांक :– 28.09.2022

ह0 वादी

सत्यापन

मैं, उपरोक्त नाम वादी यह सत्यापित करता हुॅ कि इस वाद पत्र के पैरा संख्या 1 लगायत 7 तक के कथन हमारे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है तथा पैरा सख्या 8 कानूनी सलाह से सही होने का विश्वास करता हुॅ अन्तिम पैरा संख्या 9 (अ, ब, स) प्रार्थना वादी ने चाही है जो स्वीकार किये जाने योग्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :– किशनगढ़

दिनांक :– 28.09.2022

ह0 सत्यापतकर्ता

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या........../2022

प्रतीक बनाम प्रेम देवी वगैरह

—:शपथ—पत्र:—

मैं, प्रतीक जैन पुत्र मनोज कुमार बैद जाति जैन उम्र करीबन 28 वर्ष निवासी मैन चौराहा पहाडिया की दुकान के सामने जयपुर रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान के शपथ पूर्वक बयान करता हुँ कि :—

1. यह कि मैने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है।
2. यह कि इस वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 7 तक के कथन मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है तथा पैरा संख्या 8 तक के कथन विधि मन्त्रणानुसार सही होना स्वीकार करता हूं अन्तिम पैरा संख्या 9 प्रार्थना वादी/शपथकर्ता ने चाही है जो स्वीकार किये जाने योग्य है।
3. यह कि हम शपथकर्ता यह शपथ पत्र वाद पत्र के समर्थन में पेश कर रहा हूं जो इस वाद पत्र का एक भाग माना जावे व इसके साथ पढ़ा जावे।

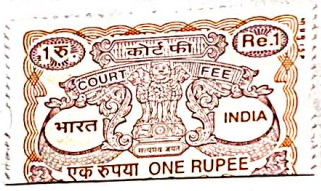

स्थान :— किशनगढ़

दिनांक :— 28.09.2022

Prateek
ह0 शपथकर्ता

—:सत्यापन:—

मैं, उपरोक्त नाम शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूं कि इस शपथ पत्र के पैरा संख्या 1 से लगायत 3 तक के कथन मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है।

स्थान :— किशनगढ़

दिनांक :— 28.09.2022

Prateek
ह0 सत्यापनकर्ता